



20/12/2017



पत्रावली न्याय आपकी हार के रूप
आयोग से पेश हुई। राजस्थानी अति
पर खातेकारी-नियमन नही किये जा सकते
तो धारा 16 के अंतर्गत ही अकाउंट
स्वीकृत किया जाता है पत्रावली में सत्य उभर
के रूप में आरबी न दफतर के।


सहायक कलक्टर
डी. जयाना